

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, (पलामू)।

लेख वाद सं० २५५/२०१६/१२
का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

थि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
०१-५-२५	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सह-पठित- श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म.....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>दरम</u> थाना नं० <u>३१८</u> खाता सं० <u>१३३</u> प्लॉट सं० <u>२६३, २७२, २७५</u> रकबा <u>३०३१, १५५०, ०५५०</u> <u>१३५३-१३२</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>दरम</u> अनाबाद बिहार / झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं०..... के पृष्ठ सं० <u>१०८१/१५</u> पर जमाबंदी रैयत <u>दरम</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख, दिनांक <u>१५-५-२०२५</u> को उपस्थापित करें। <u>१.५.२५</u> अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	

अभिलेख उपस्थापित ।
नोटिस का तामिला प्राप्त । मांगधारी रैयत / उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए । इनके द्वारा अपने पक्ष में मानव संसाधन एवं रैयत व्यवस्थापन मंडल द्वारा

अभिलेख, दिनांक.....१०५-१०८५.....को उपस्थापित करें।

અભિલેખ ઉપરથાપિત ।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार(झारखण्ड)भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी सं०.....को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल रूप में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

25/4/2018

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पलामू, झारखंड

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
हरीशरण चौधरी	कुरमा	318	17	263	303/8	औसत जमीन	पंजी-2
श्री. अन्वु पंडा							

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- पत्ती कमी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- 94-95

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

हजा गद्दी है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :-

हजा गद्दी है।

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :-

अंचल पदाधिकारी

अवैध जमाबंदी की जाँच किरा राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा चाखिल रिटर्न से

(ख) अंशदा / अनुमंडल में स्थापित बंसीयरी पंजी से

(ग) चाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

10. (क) अवैध जमाबंदी तथा दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :-

नहीं

(ख) तथा दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है?

नहीं

11. तथा दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :-

नहीं

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

प्रतिवेदि भूमि का माँगा मीठा - करमा खाता 31, लाट-272, 274, 275 एवं अन्य स्क्वा. 1.32 एकड़ का माँगा घट्टा सं. 92/2 पर कायम है। परिवर्तन के लिए प्राचिडा (कोलम में) पेजा नं. 108 एवं 154 से आमा "दुन" है। भूमि अवलाक में पाया कि पेजा नं. 108 में खाता-17 (जे.म.) बाट दर्ज नहीं है एवं स्क्वा. 0.24 है तथा पेजा नं. 154 में खाता-17 (जे.म.) लाट-263 स्क्वा. 0.30 है जो माँगा दर्ज नहीं है। खाता 31, जे.म. नुसुआ, मालिक के भूकूट है और माँगा चलन। का माँगा दर्ज नहीं है। माँगा अंशदा-पुत्र होता है। अतः अंशदा कारका है व सम्पत्ति। उक्ति खाता-3 में रेखा भूमि है स्क्वा. एवं लगान यथावत रखा जा सकता है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

जांच उप-निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदि जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया नहीं पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को बढ़ा करे की अनुशंसा किया जा सकता है।

चल अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, उत्तरपुर।

अनुमंडल पदा., उत्तरपुर।

अपर समाहर्ता, पलामू।

उपायुक्त, पलामू।

मौजा नं. 318

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- हरिचरण चौधरी 36 - अन्धु पाखी
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या II पृष्ठ सं. 92 पर कायम है।

मौजा	धाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
अरगा	318	17	963	30 3/4
		17		74 6/8
		03	272	05 6/8
		94-95	274	23 4/8
				1-32 1/2

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- 94-95
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- जैरमजरा भा. लि. 3
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- N/A
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

N/A

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- इसी नहीं है।
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) :- यह मांडा पंजी 11 में

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1.	2563598	2.6.05	2005-06
2.	052489	21.8.15	2015-16

8/4

9/4

कम्यलिया, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

पाद अभिलेख सं० २५५ / 2014/17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

नाम देवचरण पासी पिता कन्हू पासी

राज्य कर का थाना धर

जिला पलामू

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा खरम थाना नं०.....
खाता सं० 12 खेसरा नं०..... रकबा..... से संबंधित आपके नाम से
ह० नं०..... के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 5/3/24 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

हस्ताक्षर

अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।

000 8982408210